निदेशालय, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, हरियाणा
कौशल भवन, आई.पी.–2, सैक्टर–3, पंचकुला
Email- sdit.youthbranch@gmail.com

(केवल ई–मेल के माध्यम से)

सेवा में

प्रधानाचार्य–कम–जिला युवा समन्वयक अधिकारी,

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अम्बाला शहर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, कैथल, हिसार, जींद, फतेहाबाद एट भोड़िया खेडा, सिरसा, फरीदाबाद, पलवल, नुहं, गुरुग्राम, नारनौल, रेवाड़ी, रोहतक, झज्जर एट गुढ़ा, चरखी दादरी एट रावल्धी, सोनीपत तथा भिवानी।

यादि क्रमांक:YA-1/District Youth Festival/2025/17312 दिनांक: 26-09-2025

विषयः– **जिला युवा महोत्सव–2025 का आयोजन करने बारे।**

....

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस और उस दिन से आरंभ होने वाले सप्ताह को राष्ट्रीय युवा सप्ताह के रूप में मनाता है इस उत्सव का एक प्रमुख कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1995 में राष्ट्रीय एकीकरण शिविर (NIC) के अंतर्गत हुई थी। युवा महोत्सव के पीछे का उद्देश्य युवाओं का एकत्रीकरण करना और ऐसे विविध कार्यक्रम आयोजित करना है, जिनसे राष्ट्रीय एकता, सामुदायिक सौहार्द, भाईचारा, साहस और रोमांच की भावना को प्रोत्साहित किया जा सके। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तर्ज पर राज्यों को भी राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय युवा महोत्सव आयोजित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और इसके लिए उन्हें सहयोग प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव, राष्ट्रीय कार्यक्रम युवा एवं किशोर विकास (NPYAD) योजना के राष्ट्रीय एकीकरण घटक के अंतर्गत एक प्रमुख गतिविधि है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का अंतिम संस्करण विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 (VBYLD–2025) के रूप में पुनर्गठित किया गया था और यह कार्यक्रम 10–12 जनवरी, 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन 11 जनवरी, 2025 को माननीय युवा कार्यकम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार मंत्री द्वारा किया गया। 12 जनवरी, 2025 को इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति रही। VBYLD–2025 का उद्देश्य 27 वर्ष पुराने राष्ट्रीय युवा महोत्सव की परंपरा को प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस दृष्टिकोण के अनुरूप ढालना था, जिसमें 1 लाख युवाओं को राजनीति में जोड़ने की परिकल्पना की गई थी और उन्हें राष्ट्रीय विकास और नेतृत्व में सक्रिय भागीदारी हेतु एक राष्ट्रीय मंच प्रदान किया गया।

इस वर्ष 2026 का **राष्ट्रीय युवा महोत्सव दिनांक 10.01.2026 से 12.01.2026 तक मनाया जाना है।** राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तैयारी हेतु प्रत्येक राज्य द्वारा जिला एवं राज्य स्तर पर युवा महोत्सवों का आयोजन किया जाता है। मुख्य प्रतियोगिताएँ जिला स्तर के युवा महोत्सव से शुरू की जाती है। जिला स्तर के विजेता/विजेता टीम राज्य स्तर के युवा महोत्सव में भाग लेती हैं एंव राज्य स्तर की विजेता/विजेता

टीम राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेती हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में प्रत्येक राज्य से राज्य युवा महोत्सव कैटेगरी से अधिकतम 30 प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। दिनांक 27.08.2025 को युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशानुसार 01.12.2025 तक राज्य युवा महोत्सव का आयोजन कर प्रतिभागियों की सूचि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार को भेजने बारे लिखा गया है।

इस वर्ष जिला एवं राज्य स्तरीय युवा महोत्सव Viksit Bharat Cultural & Innovation Track पर आयोजित किया जा रहा है। जिसमें जिला एवं राज्य स्तर पर Science Mela का आयोजन किया जाना है। इस वर्ष भी पूर्व वर्ष की भांति सभी आयोजन My Bharat Portal के माध्यम से करवाएं जाने है तथा कार्यक्रम शुरू होने से एक माह पहले My Bharat Portal पर Event create किए जाने है एवं कार्यक्रम की सभी फोटो/वीडियो Create किए गये Event में अपलोड की जानी है।

इस कड़ी में विभाग द्वारा निम्न अनुसार जिला युवा महोत्सव का आयोजन करवाया जाना प्रस्तावित है:–

महोत्सव का स्तर	जिले/मंडल	महोत्सव की तिथियां	आयोजन का स्थान
जिला युवा महोत्सव	अम्बाला, करनाल, हिसार मंडल के सभी जिले।	27.10.2025 से 28.10.2025	जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी की मीटिंग के निर्णय अनुसार।
	फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक मंडल के सभी जिले।	29.10.2025 से 30.10.2025	

उपरोक्त जिला युवा महोत्सवों का आयोजन निम्नानुसार किया जायेगाः–

- जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन जिला स्तरीय आयोजन कमेटी के निर्णय के उपरांत जिले के मुख्यालय पर ही आयोजित होगा।
- जिला स्तरीय युवा महोत्सव के आयोजन हेतु समाचार पत्रों व अन्य प्रचार–प्रसार साधनों का उपयोग करने के साथ–साथ जिले की सभी शिक्षण संस्थाओं को सूचित किया जायेगा, ताकि अधिक से अधिक कलाकारों/प्रतिभागियों को आमंत्रित किया जा सके।
- **सम्बन्धित जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला युवा महोत्सव के आयोजन हेतु निम्नलिखित कमेटी गठित की जाती हैः–**

जिला उपायुक्त	अध्यक्ष
जिला स्तर पर नोडल राजकीय आई.टी.आई. का प्रधानाचार्य	सदस्य सचिव
जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
जिला लोक संपर्क अधिकारी	सदस्य
जिला युवा अधिकारी, मेरा युवा भारत (नेहरु युवा केंद्र संगठन)	सदस्य
राजकीय बहुतकनीकी संस्थान का प्रधानाचार्य	सदस्य
राजकीय महाविद्यालय का प्रधानाचार्य	सदस्य

जिला स्तर का प्रधानाचार्य–कम–District Youth Coordinating Officer (DYCO) राजकीय आई.टी.आई. बतौर सदस्य सचिव निम्नलिखित निर्णय उपरोक्त कमेटी से करवायेगें:–

1. आयोजन का स्थान (जिला युवा महोत्सव जिले में स्थित विश्वविद्यालय/कालेज के सभागार परिसर में आयोजित किया जाए तथा सभागार परिसर निःशुल्क प्रदान करवाने के लिए सम्बंधित उपायुक्त/कमेटी अध्यक्ष को आग्रह किया जाए)। जिला युवा महोत्सव के आयोजन Indoor किया जाए। खुले में टेंट आदि ना लगाया जाए।
2. निर्णायक मंडल/सदस्य का चयन ।
3. शुभारंभ एंव समापन समारोह में निमंत्रण हेतु मुख्य अतिथि का निर्णय ।
4. जिले में स्थित सभी शिक्षण संस्थानों के 15 से 29 वर्ष की आयु के प्रतिभागियों की भागीदारी ।
5. जिले के सभी गावों के 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं की भागीदारी ।
6. महोत्सव के प्रचार एंव प्रसार हेतु उपलब्ध राजकीय संसधानों का उपयोग ।

जिला स्तर पर कार्यक्रम के आयोजन का प्रबंध एंव खर्च हेतु कमेटी निम्न अनुसार गठित की जाती है:–

जिला स्तर पर स्थित राजकीय आई.टी.आई. का प्रधानाचार्य	अध्यक्ष/डी.डी.ओ.
जिला की सभी राजकीय आई.टी.आई. में प्रत्येक खंड स्तर पर नामित Principal–cum-Block Youth Coordinating Officers (BYCOs)	सदस्य

<u>Category-A सांस्कृतिक ट्रैक (Cultural Track):–</u>

<u>(Competitive up to National Youth Festival Level)</u>

युवाओं को हमारे देश की कला और सांस्कृतिक पहलुओं को समझने व सराहने तथा एक–दूसरे की संस्कृतियों के साथ भाईचारे के रिश्तों का पता लगाने के उद्देश्य से युवा महोत्सव के अंतर्गत सांस्कृतिक उत्सव की व्यवस्था की गई है। जिसके निम्नलिखित उद्देश्य है :–

1. पारंपरिक कला रूपों को बढ़ावा देना और उन्हें आने वाली पीढ़ीयों के लिए सुरक्षित रखना।
2. युवाओं में सांस्कृतिक विविधता की सराहना विकसित करना।
3. पारंपरिक कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना।

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सांस्कृतिक ट्रैक (Cultural Track) की विधाओं हेतु समय सीमा/नियम निम्न प्रकार से होगें:–

- सांस्कृतिक ट्रैक की गतिविधियाँ जिला एवं राज्य स्तर पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्थल पर आयोजित की जाएंगी।
- राज्य सरकारें इन सभी गतिविधियों में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करेंगी, तथा सभी जिलों का संतुलित प्रतिनिधित्व किया जाएगा।
- प्रतिभागियों की आयु 01.09.2025 को 15–29 वर्ष होनी चाहिए
- सभी प्रतिभागियों का पंजीकरण My Bharat Portal पर किया जाना अनिवार्य है।
- **एक प्रतिभागी केवल एक ही प्रतियोगिता श्रेणी में भाग ले सकता हैं।**

- सभी जिलों से विजेता राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
- जिला स्तर पर विजेताओं को योग्यता प्रमाण–पत्र/पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।
- प्रत्येक राज्य से प्रत्येक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ टीम का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा।

Folk Dance (Group)

1. Maximum number of participants allowed per team is ten. The team may consist of all boys, all girls or a mixture of both.
2. The dance shall be a folk dance (Indian style).
3. Duration of the dance should not be more than 15 minutes.
4. For the setting of the stage, extra five minutes will be given.
5. The participating team will be responsible for removal of their sets, properties, etc. immediately after the completion of their performance.
6. Jury will be constituted by the State Government.
7. Judgment will be based on the basis of rhythm, choreography, costumes, make up, sets and overall effects.
8. Pre-recorded music (tape, cassette etc.) shall not be permitted under this item.

Marking system

Item	Marks
Real Depiction of the Original form of Folk Dance	15
Expression and Movement	15
Costume & Make-up	15
Music & Rhythm Effect	20
Energy & Audience Response	25
Message of the Folk Dance	10
Total	**100**

Folk Song (Group)

1. Maximum number of participants allowed per team is ten. The team may consist of all boys, all girls or a mixture of both.
2. The folk song should be taken from Indian songs which can be in any regional language.
3. No film songs should be presented.
4. Maximum time allowed for the folk song is 7 minutes. The setting time for the participant shall not exceed 5 minutes.
5. Medley of songs is not allowed.
6. Jury will be constituted by the State Government.

Marking system

Item	Marks
Sur	35
Tal	35
Real Depiction of the Original form of Folk Song	10
Costume & Make-up	10
Message of the Folk Song	10
Total	**100**

Story Writing

1. Each youth may submit only one entry;
2. The entry should be original, in Hindi, English or regional language.
3. Maximum time-limit for story-writing would be 60 minutes. The word limit should not be more than 1000 words;
4. The story must not contain offensive, explicit or inappropriate content. It should also not offend any caste/creed/religion/color/race. Participating youth must fill in their name, complete postal address, mobile number and email.
5. The jury will be constituted by the State Government.

Painting

1. The themes for Painting shall be "**Nasha Mukt Yuva"** or "**Youth for healthy lifestyle"**.
2. Each youth may submit one entry;
3. The medium of painting may be Pencil colour / Acrylic / Water colour / crayon etc. as per their choice.
4. The entry should be original;
5. The maximum time-limit for painting would be 90 minutes. The painting must be made on A3 Size i.e., 11.7" *16.5";
6. The painting must not represent any particular organization or any brand name. However, participating youth must fill in their name, complete postal address, mobile number and email.
7. Youth submitting their painting in the competition will require to mention caption of the painting in 20-30 words;
8. The jury will be constituted by the State Government.

Declamation

1. The topic of Declamation is **"Emergency period and violation of Constitution in India"** and **"Safeguarding Democracy and Democratic values"**
2. The language would be Hindi or English.
3. Each participant will be given a maximum of 7 minutes for presentation.
4. The participant will speak on the topic and deliver a prepared speech.
5. Jury & Evaluation: The jury will be constituted by the State Government.

6. Evaluation will be based on the clarity of speech, flow, relevance to the topic, non-repetition of words and sentences, confidence, awareness about the topic, etc.
7. 03 Judges having the field expertise (Professors/ orators etc.) would judge the participants on the criteria as below:

S. No.	Marking Criteria	Marks
1.	**Content and Substance** i. Amount of Factual Data Presented ii. Historical and authentic references iii. Analysis of current situation iv. Suggestions/recommendations for improvement v. New ideas brought out	30
2.	Communication/Oratory skills	20
3.	Presentation skills	20
4.	Clarity of ideas and thoughts	20
5.	Confidence level	10
	Total	**100**

Poetry writing

1. Each youth may submit only one entry;
2. The entry should be original, in Hindi, English or regional language.
3. Maximum time-limit for poetry-writing would be 90 minutes.
4. The poetry must not contain offensive, explicit or inappropriate content. It should also not offend any caste/creed/religion/color/race. Participating youth must fill in their name, complete postal address, mobile number and email.
5. The jury will be constituted by the State Government.
6. 3 participants per state reach at National Level
7. 03 Judges having the field expertise (professors/leading writers/journalists/ poets, etc.) Official Language of State/Hindi/English would judge the participants on the criteria as below:

S. No.	Marking Criteria	Marks
1.	Adherence to theme	25
2.	Marks of Creativity and Originality	25
3.	Coherence of form and structure (harmony of words, presentation)	25
4.	Clarity of imagery/ facts and language	25
	Total	**100**

Category-B नवाचार ट्रैक (Innovation Track) (विज्ञान मेला)

(Competitive up to State Youth Festival Level)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तार्किक सोच, समस्या–समाधान और नवाचार को प्रोत्साहित करती है, जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य संकट आदि जैसी आधुनिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक है। विज्ञान मेला प्रदर्शनी एक गतिशील आयोजन है। जिसका उद्देश्य युवाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि जगाना है, जहाँ युवा मस्तिष्कों द्वारा विकसित नवाचारी परियोजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। यह आयोजन युवाओं, छात्रों, शिक्षकों और आम जनता को एक इंटरैक्टिव मंच प्रदान करेगा, जहाँ वे ऐसे नवाचारपूर्ण विचारों और तकनीकी प्रगति से जुड़ सकेंगे जो स्थानीय और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दैनिक जीवन में महत्व को उजागर करके, विज्ञान मेला प्रदर्शनी का उद्देश्य अगली पीढ़ी के नवप्रवर्तकों को प्रेरित करना और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। जिसके निम्नलिखित उद्देश्य है :–

1. युवाओं और छात्रों को उनके नवाचारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करना।
2. युवाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति जिज्ञासा और रुचि जगाना।
3. ऐसे युवा नवप्रवर्तकों का समुदाय बनाना जो समाज के विकास हेतु विज्ञान के उपयोग को लेकर उत्साही हों।

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार विज्ञान मेला प्रदर्शनी (Science Mela) की विधाओं हेतु समय सीमा/नियम निम्न प्रकार से होगें:–

- न्यूनतम 10 टीमों की सहभागिता (प्रत्येक टीम में अधिकतम 05 सदस्य होंगे)। जिला स्तर पर प्रथम पुरूस्कार विजेता और द्वितिय पुरूस्कार विजेता टीम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित होगी।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना प्रदर्शनी स्कूलों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों के युवा और छात्र अपने नवाचारी प्रोजेक्ट प्रस्तुत करेंगे। इन प्रोजेक्ट्स का केंद्र जैव प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, डिजिटल समाधान आदि होंगे।
- पुरस्कार और मान्यता उत्कृष्ट प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने वाली टीमों को पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें सृजनात्मकता, नवाचार और व्यावहारिक अनुप्रयोग को मान्यता दी जाएगी।
- विज्ञान मेला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। युवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार को दर्शाने वाली परियोजनाएँ प्रदर्शित करेंगे। प्रतियोगिता टीमों के लिए होगी।
- प्रतियोगिता का आधार व्यावहारिक अनुप्रयोग, किफायती नवाचार, प्रस्तुति एवं प्रभाव पर होगा। जहाँ तक संभव हो, मौजूदा प्रणालियों (जैसे बाँध, सोलर सिस्टम आदि) के केवल मॉडल/कला–कौशल को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदर्शनी में नवाचार केंद्र बिंदु होना चाहिए।
- विज्ञान मेला प्रदर्शनी का व्यापक प्रचार–प्रसार सोशल मीडिया पोस्ट, संस्थानों को पत्र, संगठनों से आमंत्रण आदि के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
- जिले के सभी ब्लॉकों से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।

- ➢ इच्छुक युवाओं को My Bharat पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और Innovation Track (विज्ञान मेला प्रदर्शनी) में भाग लेने के लिए आवेदन करना होगा।
- ➢ विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय कर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों से अधिकतम युवाओं को जोड़कर विविध परियोजनाओं का प्रदर्शन सुनिश्चित किया जाएगा।
- ➢ प्रौद्योगिकी–आधारित नवाचारी परियोजनाओं में रुचि रखने वाले युवाओं को भागीदारी हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।
- ➢ निर्णायक एवं मूल्यांकन 03 निर्णायक (प्रोफेसर / विज्ञान विशेषज्ञ / Innovator) होंगे।

Marking system

Item	Marks
Innovation in approach	50
Quality of presentation	20
Impact	30
Total	**100**

Category-C (District Level Folk Musical Instrumental Competition up to State Youth Festival Level)

- **Group Folk Musical Instrumental Competition:-**

1. Maximum number of participants allowed per team is 10 (Ten). The team may consist of all boys, all girls or a mixture of both.
2. Participant can perform only Folk musical instruments.
3. Maximum time allowed is 7 minutes. The setting time for the participant shall not exceed 5 minutes.
4. The participating team will be responsible for removal of their sets, properties, etc. immediately after the completion of their performance.
5. Participants must bring their own instruments.
6. No electronic instruments, pre-recorded tracks or background music are not permitted.
7. Only traditional folk musical instruments are allowed (e.g., dhol, nagada, been, algoza, sarangi, ektara, dholak, khartal, manjira, Banjo, Ghariya, Tuba, Basuri etc.).
8. Costumes reflecting folk tradition are encouraged.

- **Solo Folk Musical Instrumental Competition:-**

1. Participant can perform only one Folk musical instrument.
2. Maximum time allowed is 7 minutes. The setting time for the participant shall not exceed 5 minutes.
3. The participating team will be responsible for removal of their sets, properties, etc. immediately after the completion of their performance.
4. Participant must bring their own instruments.
5. No electronic instrument, pre-recorded track or background music are not permitted.
6. Only traditional folk musical instruments are allowed (e.g., dhol, nagada, been, algoza, sarangi, ektara, dholak, khartal, manjira, Banjo, Ghariya, Tuba, Basuri etc.).
7. Costumes reflecting folk tradition are encouraged.

Marking system of Solo & Group Folk Musical Instrumental Competition

Item	Marks
Real Depiction of the Original form of Folk Musical instrument.	15
Rhythm, Technique and Clarity	25
Costume & Make-up	15
Stage Presence & Presentation	20
Energy & Audience Response	15
Message of the Presentation	10
Total	**100**

सभी जिला स्तर पर राजकीय आई.टी.आई. के प्रधानाचार्य को जिला युवा महोत्सव के आयोजनार्थ वित्तीय स्वीकृति निम्न प्रकार से दी जानी हैः–

तालिका–क

क्रमांक	मद	अनुमानित राशि (रूपये में)
1.	निर्णायक मण्डल के 14 सदस्यों (Judge) के लिए 2000/– रूपये प्रति निर्णायक सदस्य प्रति दिन (अधिकतम 02 दिन के लिए) की दर से मानदेय। **नोटः– यदि विधा एक दिन ही आयोजित होती है तो एक दिन का मानदेय देय होगा और यदि विधा दो दिन ही आयोजित होती है तो दो दिन का मानदेय देय होगा।**	36,000/–
2.	41 प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को राशि 3100/– रूपये प्रतिभागी की दर से 41x3100 = 1,27,100/– नकद ईनाम देने पर खर्च । **नोटः–ग्रुप Event में ईनाम राशि 3100/– रूपये प्रति प्रतिभागी की दर से अथवा अधिकतम राशि 31000/– रूपये, जो भी कम हो, दी जाएगी।**	1,27,100/–
3.	41 द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को राशि 2100/– रूपये प्रतिभागी की दर से 41 x2100 =86,100/– नकद ईनाम देने पर खर्च । **नोटः– ग्रुप Event में ईनाम राशि 2100/– रूपये प्रति प्रतिभागी की दर से अथवा अधिकतम राशि 21,000/– रूपये, जो भी कम हो, दी जाएगी।**	86,100/–
4.	41 तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को राशि 1100/– रूपये प्रतिभागी की दर से 41 x1100 =45,100/– नकद ईनाम देने पर खर्च । **नोटः– ग्रुप Event में ईनाम राशि 1100/– रूपये प्रति प्रतिभागी की दर से अथवा अधिकतम राशि 11000/– रूपये, जो भी कम हो, दी जाएगी।**	45,100/–
5.	Light and Sound, Stage पर खर्च 2 दिन के लिए ।	15,000/–
6.	VIPs and Judges के जलपान हेतु अधिकतम खर्च ।	
7.	प्रतिभागियों तथा स्टाफ सदस्यों के लिए चाय/बिस्कुट एवं पीने के पानी की व्यवस्था हेतु खर्च (प्रतिभागी अपना खाना स्वयं अपने साथ लेकर आयेगें)	30,000/–
8.	मिसलेनियस (स्टेशनरी, प्रमाण पत्र, टैण्टेज, बैनर, फोटोग्राफी, उदघाटन, समापन व अन्य अनदेखे खर्चे)	75,000/–
	कुल	4,14,300/–

नोटः— तालिका—क में दर्शाई गई मद क्रमांक 5 से 8 में यदि राशि बचती है तो उस राशि को आपस में मद बदलते हुए प्रयोग किया जा सकता है, परन्तु मद क्रमांक 1 से 4 में आबंटित की गई राशि को किसी अन्य मद में प्रयोग नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार जिला स्तरीय युवा महोत्सव पर कुल 4,14,300 x 22 = 91,14,600/— रूपये की राशि खर्च होने का अनुमान है। यह राशि विभागीय योजना Youth Development Scheme (P-01-15-2204-51-104-54-51-N-V) में से वहन किया जाना है। सभी 22 जिला नोडल अधिकारी—कम—प्रधानाचार्यों (DYCO) को 4,14,300/— रूपये प्रति जिला की दर से बजट खर्च करने की वित्तीय स्वीकृति आयोजनार्थ दी जाती है।

उपरोक्त वर्णित तालिका—क में दिए जाने वाले 41 पुरुस्कारों की संख्या का विधा (Event) अनुसार विवरण निम्न अनुसार है:—

S.No	Name of Event	Group/Individual	1st	2nd	3rd
1	Group Folk Dance	Group	10	10	10
2	Group Folk Song	Group	10	10	10
3	Poetry Writing	Individual	1	1	1
4	Story Writing	Individual	1	1	1
5	Painting	Individual	1	1	1
6	Declamation	Individual	1	1	1
7	Innovation Track (Science Mela)	Group	5	5	5
		Individual	1	1	1
8	Folk Musical Instrumental Competition	Group	10	10	10
		Individual	1	1	1
	Total		41	41	41

जिला स्तरीय युवा महोत्सव में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले/चयनित प्रतिभागी राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में भाग लेंगे तथा सम्बंधित जिला नोडल अधिकारी—कम—प्रधानाचार्य (DYCO) निम्न अनुसार कार्य करने बारे आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं:—

1. प्रथम, द्वितिय तथा तृतीय स्थान के लिए केवल एक ही विजेता का चयन किया जाएं।
2. निर्णय पर विवाद की स्थिति में उपायुक्त की अध्यक्षता में आई.टी.आई. के प्रधानाचार्य/DYCO, DEO and DIPRO (Jury of Appeal) का गठन किया जाए।
3. प्रत्येक विद्या के निर्णायक मण्डल के सदस्य अपनी विद्या में Post Graduate होने आवश्यक हो तथा कुछ विद्याओं में अनुभव के आधार पर भी निर्णायक आमंत्रित किए जा सकते हैं, ताकि यदि

निर्णय के संबंध में कोई आपत्ति होती हैं तो वह उसके संबंध में विस्तार से तकनीकी रूप से स्थिति स्पष्ट कर सकें।

4. प्रत्येक DYCO को राशि 4,14,300 / –रूपये (Four Lakh Fourteen thousand Three hundard only) की वित्तीय स्वीकृति दी जाती है, उसी के अनुसार मदवार खर्च किया जाएं। वित्तीय स्वीकृति के अतिरिक्त किसी भी मद में अधिक खर्च किये जाने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी सम्बंधित जिला नोडल अधिकारी–कम–प्रधानाचार्य (DYCO) की होगी। किसी भी संशोधित वित्तीय स्वीकृति को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
5. सभी जिलों में जिला स्तरीय युवा उत्सव के आयोजन हेतु प्रचार–प्रसार, समाचार–पत्रों, स्थानीय केबल नेटवर्क पर DIPRO के माध्यम से करवाया जाएं, जिससे अधिक से अधिक संख्या में युवा कलाकार प्रतिभागिता कर सकें तथा दर्शक अधिक से अधिक हो।
6. जिला युवा महोत्सव में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को कोई टी.ए / डी.ए. तथा ठहराव व्यवस्था का लाभ नहीं दिया जाएगा।
7. इसके अतिरिक्त निदेशालय स्तर से प्रचलित सभी अखबारों में आधे पेज / एक चौथाई पेज का विज्ञापन 4 से 5 बार प्रचार–प्रसार हेतु प्रकाशित करवाया जाएगा तथा प्रचलित एफ.एम. रेडियों चैनलों पर जिंगलस प्रसारित करवाई जाएगी।

आदेशों की दृढ़ता से पालना की जाए।

सलंग्नः– रजिस्ट्रेशन फार्म।

(राज कुमार)
अतिरिक्त निदेशक (युवा मामले)
कृतेः महानिदेशक, कौशल विकास एंव
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा

पृ0 कमांकः YA-1/District Youth Festival/2025/ 17313 दिनांकः 26-09-2025

उपरोक्त की एक प्रति हरियाणा राज्य में सभी जिला उपायुक्त को प्रेषित करते हुए अनुरोध किया जाता है कि अपने जिले में जिला युवा महोत्सव के आयोजन को सफलतापूर्वक आयोजित करवाने के लिए कमेटी की अध्यक्षता, सभी शैक्षणिक संस्थानों को भागीदारी के निर्देश एवं संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करने करें।

(राज कुमार)
अतिरिक्त निदेशक (युवा मामले)
कृतेः महानिदेशक, कौशल विकास एंव
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा

पृ0 कमांकः YA-1/District Youth Festival/2025/ 17314 दिनांकः 26-09-2025

उपरोक्त की एक प्रति महानिदेशक, विज्ञान एवं प्रोधोगिकी विभाग एवं सचिव, हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रोधोगिकी परिषद, सैक्टर–2, पंचकुला तथा निदेशक, HARSAC, CCSHAU Campus, हिसार को प्रेषित करते हुए अनुरोध किया जाता है कि सभी जिलों में आपके अधीन सभी संस्थाओ/संस्थानों को जिला युवा महोत्सव में आयोजित किए जाने वाले Science Mela में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

(राज कुमार)
अतिरिक्त निदेशक (युवा मामले)
कृतेः महानिदेशक, कौशल विकास एंव औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा

पृ0 कमांकः YA-1/District Youth Festival/2025/ 17315 दिनांकः 26-09-2025

उपरोक्त की एक प्रति महानिदेशक, सूचना, लोक सम्पर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हरियाणा को प्रेषित करते हुए अनुरोध किया जाता है कि सभी जिला लोक सम्पर्क अधिकारियों को निर्देश देने का कष्ट करें कि अपने अधीनस्थ जिलों में जिला युवा महोत्सव के आयोजन हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार करना तथा प्रैस नोट जारी करना सुनिश्चित करें।

(राज कुमार)
अतिरिक्त निदेशक (युवा मामले)
कृतेः महानिदेशक, कौशल विकास एंव औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा

पृ0 कमांकः YA-1/District Youth Festival/2025/ 17316 दिनांकः 26-09-2025

उपरोक्त की एक प्रति राज्य निदेशक, नेहरु युवा केंद्र संगठन, हरियाणा को प्रेषित करते हुए अनुरोध किया जाता है कि सभी जिला युवा अधिकारियों को निर्देश देने का कष्ट करें कि वें अपने अधीनस्थ जिलों में आयोजित किए जाने वाले जिला युवा महोत्सव में सम्बंधित जिले के जिला युवा समन्यवक अधिकारी एवं प्रधानाचार्य, राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान (जिला मुख्यालय) से तालमेल करते हुए जिला युवा महोत्सव का सफल आयोजन करवाना सुनिश्चित करें।

(राज कुमार)
अतिरिक्त निदेशक (युवा मामले)
कृतेः महानिदेशक, कौशल विकास एंव औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा

पृ0 कमांकः YA-1/District Youth Festival/2025/ 17317 दिनांकः 26-09-2025

उपरोक्त की एक प्रति हरियाणा राज्य में सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को प्रेषित करते हुए अनुरोध किया जाता है कि आपके अधीन जिलों के सरपंचों को निर्देश देने का कष्ट करें कि वें अपने–अपने गावों/ग्राम पंचायतों में जिला युवा महोत्सव का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए उनके गावों के युवाओं/युवतियों की भागीदारी सुनिश्चित करें।

(राज कुमार)
अतिरिक्त निदेशक (युवा मामले)
कृतेः महानिदेशक, कौशल विकास एंव औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा

पृ0 कमांक: YA-1/District Youth Festival/2025/ 17318 दिनांकः 26-09-2025

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महानिदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, महानिदेशक, उच्चतर शिक्षा विभाग, निदेशक, शिक्षा विभाग तथा रजिस्ट्रार, सभी विश्वविद्यालय (हरियाणा राज्य में) को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि अपने विभाग / विश्वविद्यालय के अधीन सभी संस्थानों के मुखियाओं को निर्देश देने का कष्ट करें कि जिला युवा महोत्सव में उनके संस्थान की भागीदारी सुनिश्चित करें।
2. सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि आपके अधीन सभी विद्यालयों के मुखियाओं को निर्देश देने का कष्ट करें कि वें जिला युवा महोत्सव में उनके विद्यालयों की भागीदारी सुनिश्चित करें ।
3. नोडल अधिकारी, वैबसाइट को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
4. सहायक निदेशक (योजना), मुख्यालय को प्रेषित करते हुए निर्देश दिए जाते है कि सभी सम्बंधित जिला युवा समन्वयक अधिकारी एवं प्रधानाचार्य को विभागीय योजना Youth Development Scheme (P-01-15-2204-51-104-54-51-N-V) "34-Other Charges" में से 4,14,300/–रूपये प्रति जिला की दर से बजट आबंटित करने का कष्ट करें।
5. सभी प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इंचार्ज, राजकीय एवं प्राइवेट औधोगिक प्रशिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए जाते है कि जिला युवा महोत्सव में अपने–अपने संस्थानों में प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे छात्र/छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करें व सभी ब्लॉक युवा समन्वयक अधिकारियों तथा जूनियर युवा समन्वयक अधिकारियों निर्देश देवें कि उनको आबंटित किए गये 143 विकास खण्डों के सभी गावों एवं ग्राम पंचायतों में जिला युवा महोत्सव का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए युवाओं/युवतियों की भागीदारी सुनिश्चित करें।
6. राज्य नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), शिक्षा सदन, सैक्टर–5, पंचकुला को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सभी जिलों के कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश देने का कष्ट करें कि जिला युवा महोत्सव के आयोजन में भागीदारी सुनिश्चित करें।

(राज कुमार)
अतिरिक्त निदेशक (युवा मामले)
कृतेः महानिदेशक, कौशल विकास एंव
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा

CC:-

1- PS to PS, MYE
2- PS to PS-YEE
3- PS to DGSDIT
4- PS to Director, Youth Affairs, MoYAS, GoI, New Delhi.

Skill Development & Industrial Training Department, Haryana

(Registration Form for District Youth Festival-2025)

Sr. No.________ (For Office use only)

District Youth Festival Dated	………… to ………
Name of District	………………………..
Event to be presented	………………………..
Competitive/Non-competitive	………………………..
Single or Group	………………………..

Photo
(To be attested & Cross Signed)

(if Group, fill details for all Participants individually in the table given as back side)

Name of the Participant ………………………..
(Individual/Group Leader)

Father's/Husband Name	………………………..
Date of Birth (as on 01.09.2025)	………………………..
Age proof (Copy to be attach)	………………………..
Category (Gen./BC/SC)	………………………..
PPP I'd (Copy to be attach)	………………………..
Aadhar card (Copy to be attach)	………………………..

Bank Details of Individual/Group Leader (Bank Passbook/cancelled cheque copy to be attach):

Name of Bank	………………………..
A/c No.	………………………..
IFSC Code:	………………………..
PAN No.	………………………..
Gender (M/F/T)	………………………..
Residential address	………………………..
	………………………..
Mobile No.	………………………..
E-mail I'd	………………………..

(Signature of the participant/Group Leader)

(For Office Use Only)

The above information are verified by me and found correct.

Place: ___________
Date: ___________

(Signature)
Name:
Designation (BYCO/JYCO):

Approved

(Signature & Stamp by DYCO)

Name of Event: - **Group/Solo: -** **Name of District: -**

S.No	Name of Performer	Father's/Husband Name	Gender (M/F/T)	Mobile No.	PPP I'd	Attached Copy of Aadhar	Bank Name	i) A/c No. & IFSC Code ii) PAN No.	Full Sign. of Participant
1.								i) ii)	
2.								i) ii)	
3.								i) ii)	
4.								i) ii)	
5.								i) ii)	
6.								i) ii)	
7.								i) ii)	
8.								i) ii)	
9.								i) ii)	
10.								i) ii)	

S.No	Name of Accompanist	Father's/Husband Name	Gender (M/F/T)	Mobile No.	PPP I'd	Attached Copy of Aadhar	Bank Name	i) A/c No. & IFSC Code ii) PAN No.	Full Sign. of Participant
1.								i) ii)	
2.								i) ii)	
3.								i) ii)	

Signature of Group Leader
Name:
Father’s Name:
Mobile No.: